क्रम-संख्या–108(ख–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 14 जुलाई, 2025

आषाढ़ 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2

संख्या 1098/15-2–25

लखनऊ, 14 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–52

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम–5 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम 18 और 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप नियम**		स्तम्भ–2 **एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**	
(18) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य,	(एक) 50 प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवायें परीक्षा के माध्यम से	(18) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, राजकीय	(एक) पचास प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप नियम**		स्तम्भ–2 **एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**	
राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज (बालक या बालिका), सहायक उप शिक्षा निदेशक, वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और बेसिक), उप पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उप–सचिव, और अपर उप–सचिव, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, सहायक उप शिक्षा निदेशक(पत्राचार पाठ्यक्रम), राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, शिक्षा प्रसार अधिकारी, उप प्रधानाचार्य, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी, शोध प्रोफेसर, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी, वरिष्ठ शोध प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, उप प्रधानाचार्य/प्रोफेसर, गवर्नमेंट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, जूनियर बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उप प्रधानाचार्य और प्रोफेसर, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय।	सीधी भर्ती द्वारा, (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से:– (क) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय नार्मल स्कूल के प्रधानाध्यापकों और पुरूष शिक्षण शाखा के अन्य समकक्ष पदों, (ख) राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय बालिका नार्मल विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाओं और महिला शिक्षण शाखा के अन्य समकक्ष पदों, (ग) उप–विद्यालय निरीक्षक(बालक/बालिकाओं)/निरीक्षण और शिक्षणेत्तर शाखा में समकक्ष पदों पर नियुक्त, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से 61 प्रतिशत, 22 प्रतिशत, और 17 प्रतिशत के अनुपात में, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	इण्टरमीडिएट कालेज (बालक या बालिका), सहायक उप शिक्षा निदेशक, वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक(माध्यमिक और बेसिक), उप पाठ्य–पुस्तक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में उप सचिव और अपर उप सचिव, सहायक उप शिक्षा निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम), राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, शिक्षा प्रसार अधिकारी, उप प्रधानाचार्य, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी, शोध आचार्य, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी, वरिष्ठ शोध आचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, उप प्रधानाचार्य/आचार्य, गवर्नमेंट सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, जूनियर बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उप प्रधानाचार्य और आचार्य, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय।	सीधी भर्ती द्वारा, (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्तः– (क) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय नार्मल स्कूल के प्रधानाचार्य और पुरूष शिक्षण शाखा में अन्य समकक्ष पदों, (ख)राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय बालिका नार्मल स्कूल के प्रधानाचार्य और महिला शिक्षण शाखा में अन्य समकक्ष पदों, (ग) उप विद्यालय निरीक्षकों(बालक/बालिकाओं)/खण्ड शिक्षा अधिकारियों और अन्य की निरीक्षण शाखा में समकक्ष पदों पर नियुक्त, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से क्रमशः 33 प्रतिशत पुरूष शिक्षण शाखा, 33 प्रतिशत महिला शिक्षण शाखा और 34 प्रतिशत निरीक्षण शाखा के अनुपात में, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(19) विज्ञान प्रगति अधिकारी, प्रोफेसर, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय	क्रम–संख्या (18) पर उल्लिखित उन अधिकारियों, जो परिशिष्ट दो में प्रत्येक पद के समकक्ष	(19) विज्ञान प्रगति अधिकारी, प्रोफेसर, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर	क्रम–संख्या (18) पर उल्लिखित उन अधिकारियों, जो परिशिष्ट दो में प्रत्येक पद के समकक्ष उल्लिखित अर्हताए

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
मनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर और सहयुक्त प्रोफेसर, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, सहायक निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, निरीक्षक, अरबी मदरसा, विधि अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर, प्रोफेसर, क्राफ्ट, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य शिक्षा संस्थान और शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला व्यायाम शिक्षण कालेज, इलाहाबाद प्रधानाचार्य, राजकीय महिला गृह विज्ञान कालेज, इलाहाबाद और प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद और आगरा, रिप्रोग्राफी अधिकारी।	उल्लिखित अर्हताए रखते हों, में से स्थानान्तरण द्वारा।
और सहयुक्त प्रोफेसर, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, सहायक निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, निरीक्षक, अरबी, मदरसा, विधि अधिकारी, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर, प्रोफेसर, क्राफ्ट, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य शिक्षा संस्थान और शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला व्यायाम शिक्षण कालेज, इलाहाबाद प्रधानाचार्य, राजकीय महिला गृह विज्ञान कालेज, इलाहाबाद और प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद और आगरा, रिप्रोग्राफी अधिकारी।	रखते हो, में से स्थानान्तरण द्वारा।

2–उक्त नियमावली में नियम–8 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः– नियम–8 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम		स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम	
(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, (2) सह जिला विद्यालय निरीक्षक, (3) जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, (4) सहायक उप शिक्षा निदेशक, (5) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और बेसिक) के वैयक्तिक सहायक, (6) उप पाठ्य-पुस्तक अधिकारी, (7) उप सचिव और अवर उप सचिव मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय,	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **अधिमानी अर्हता** शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का एल0टी0 डिप्लोमा। या बी0टी0 या बी0एड0 या किसी विश्वविद्यालय की	(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, (2) सह जिला विद्यालय निरीक्षक, (3) जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, (4) सहायक उप शिक्षा निदेशक, (5) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और बेसिक) के वैयक्तिक सहायक, (6) उप पाठ्य-पुस्तक अधिकारी, (7) उप सचिव और अवर उप सचिव मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय,	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/ मानित विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि **अधिमानी अर्हता** अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने एन0सी0टी0ई0 मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की

स्तम्भ–1 **विद्यमान उप नियम**		स्तम्भ–2 **एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**	
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, (8) सहायक उप शिक्षा निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम), राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (9) शिक्षा प्रभार अधिकारी, (10) वरिष्ठ शोध प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, (11) विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), (12) मण्डलीय सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका,	कोई समकक्ष उपाधि।	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, (8) सहायक उप शिक्षा निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम), राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (9) शिक्षा प्रभार अधिकारी, (10) वरिष्ठ शोध प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, (11) विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), (12) मण्डलीय सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका,	उपाधि पूर्ण किया हो।
(13) प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज (बालक या बालिका),	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का एल0टी0 डिप्लोमा या बी0टी0 या बी0एड0 या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि। (तीन) हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था से कम से कम तीन वर्ष का पढ़ाने का अनुभव।	(13) प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज (बालक या बालिका),	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि। (दो) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि। (तीन) हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्ति हों तथा तीन वर्ष तक निरन्तर पढ़ाने का अनुभव एवं केन्द्र/राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया हो।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1098/XV-2–25, dated July 14, 2025:

No. 1098/XV-2–25

Dated Lucknow, July 14, 2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Educational (General Education Cadre) Service Rules, 1992:–

THE UTTAR PRADESH EDUCATIONAL (GENERAL EDUCATION CADRE) SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Educational (General Education Cadre) Service (Fifth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule 5

2. In the Uttar Pradesh Educational (General Education Cadre) Service Rules, 1992, hereinafter referred as the said rules in rule 5 *for* existing sub-rule (18) and (19) set out in Column-1 below, the sub-rule set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1	
Existing Sub-Rule	
(18) District Basic Education Officer, Associate Inspector of Schools, Principals Government Intermediate Colleges (for boys or girls), Assistant Deputy Director of Education, Personal Assistant to Director of Education (Secondary and Basic), Deputy Text-Books Officer, Deputy Secretary, and Additional Deputy Secretary, Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh at Headquarters and Regional Offices, Assistant Deputy Director of Education (Correspondence Course), State Institute of Education, Uttar Pradesh, Allahabad, Education Expansion Officer, Vice Principal Government Basic Training Colleges, Varanasi, Research Professor, Government Basic Training College, Varanasi, Senior Research Professor, State Institute of	(i) 50% by direct recruitment through the combined State Services Examination conducted by the Commission. (ii) 50% by promotion through the Commission from amongst substantively appointed :– (a) Head Masters, Government Higher Secondary Schools and Government Normal Schools and other equivalent posts of Men's Teaching Branch, (b) Head Mistress, Government Higher Secondary Schools for Girls and Government Girls Normal Schools and other
COLUMN-2	
Sub-Rule as hereby substituted	
(18) District Basic Education Officer, Associate Inspector of Schools. Principals Government Intermediate Colleges (for boys or girls), Assistant Deputy Director of Education, Personal Assistant to Director of Education (Secondary and Basic), Deputy Text-Books Officer, Deputy Secretary and Additional Deputy Secretary, Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh at Headquarters and Regional Offices, Assistant Deputy Director of Education (Correspondence Course), State Institute of Education, Uttar Pradesh, Allahabad, Education Expansion Officer, Vice Principal Government Basic Training Colleges, Varanasi, Research Professor, Government	(i) 50% by direct recruitment through the combined State Services Examination conducted by the Commission. (ii) 50% percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed :- (a) Principals of Government Higher Secondary Schools and other equivalent posts in Male Teaching Branch. (b) Principals of Government Girls Higher Secondary Schools and other equivalent posts in Female Teaching Branch,

COLUMN-1 ***Existing Sub-Rule***		COLUMN-2 ***Sub-Rule as hereby substituted***	
Education, Allahabad, Vice Principal/Professor, Government Central Pedagogical Institute, Allahabad, Principal Junior Basic Training Colleges Officer on Special Duty (Non-Formal Education), District Non-Formal Education Officer, Associate Regional Inspectress of Girls School, Vice Principal and Professor, Government Training College for Women, Allahabad, Principals for Government Training Colleges for Women.	equivalent posts of Women teaching Branch, and (c) Deputy Inspectors of Schools (Boys and Girls) and other equivalent posts on the inspecting and non-teaching side, in the ratio of 61%, 22% and 17% respectively, who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	Basic Training College, Varanasi, Senior Research Professor, State Institute of Education, Allahabad, Vice Principal/Professor, Government Central Pedagogical Institute, Allahabad, Principal Junior Basic Training Colleges Officer on Special Duty (Non-Formal Education), District Non-Formal Education Officer, Associate Regional Inspectress of Girls School, Vice Principal and Professor, Government Training College for Women, Allahabad, Principals for Government Training Colleges for Women.	(c) Deputy School Inspectors (Boys/Girls)/BEO's appointed on equivalent posts in Inspection Branch who have completed 03 years of service on the first day of the year of recruitment, in the ratio of 33% male teaching branch, 33% female teaching branch, and 34% from Inspection branch respectively.
(19) Science Promotion Officer, Professor State Institute of Science Education, Psychologist and Regional Psychologist, Professor and Associate Professor, English Language, Teaching Institute Assistant Director, State Hindi Institute, Inspector Sanskrit Pathshalas, Uttar Pradesh, Inspector Arabic Madarsas, Law Officer Directorate of Education, Uttar Pradesh, Principal, Government Physical Training College, Rampur, Professor Craft Government Constructive Training College, Lucknow, Statistical Officer, State Institute of Education and Directorate of Education, Uttar Pradesh, Allahabad, Principal, Government	By transfer from amongst officers mentioned at serial number (18) who possess the qualification mentioned against each post in the Appendix-II.	(19) Science Promotion Officer, Professor State Institute of Science Education, Psychologist and Regional Psychologist, Professor and Associate Professor, English Language, Teaching Institute Assistant Director, State Hindi Institute, Inspector Sanskrit Pathshalas, Uttar Pradesh, Inspector Arabic Madarsas, Law Officer Directorate of Education, Uttar Pradesh, Principal, Government Physical Training College, Rampur, Professor Craft Government Constructive Training College, Lucknow, Statistical Officer, State Institute of Education and Directorate of Education, Uttar Pradesh, Allahabad,	By transfer from amongst officers mentioned at serial number (18) who possess the qualification mentioned against each post in the Appendix-II.

COLUMN-1 ***Existing Sub-Rule***	COLUMN-2 ***Sub-Rule as hereby substituted***
College of Physical Education for Women, Allahabad, Principal Government Women College of Home Science, Allahabad and Principal, Government Nursery Training College, Allahabad and Agra, Reprography Officer .	Principal, Government College of Physical Education for Women, Allahabad, Principal Government Women College of Home Science, Allahabad and Principal, Government Nursery Training College, Allahabad and Agra, Reprography Officer .

2- In the said rules in rule 8, the existing sub-rule set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2, shall be *substituted*, namely :- Amendment of Rule 8

COLUMN-1 ***Existing Sub-Rule***		COLUMN-2 ***Sub-Rule as hereby substituted***	
(1) District Basic Education Officer, (2) Associate Inspector of Schools, (3) District Non-Formal Education Officer, (4) Assistant deputy Director of Education, (5) Personal Assistant to Director of Education (Secondary and Basic), (6) Deputy Text-Books Officer, (7) Deputy Secretary and Additional Deputy Secretary, Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh at Headquarters and Regional Offices, (8) Assistant Deputy Director of Education (Correspondence Course) State Institute of Education, Uttar Pradesh, Allahabad, (9) Education Expansion Officer, (10) Senior Research Professor State	**Essential Qualification** : A Post-graduate degree from a University established by law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto. **Preferential Qualification:** L.T. Diploma of the Department of Education, Uttar Pradesh or B.T. or B.Ed. or an equivalent degree of a University.	District Basic Education Officer, (2) Associate Inspector of Schools, (3) District Non-Formal Education Officer, (4) Assistant deputy Director of Education, (5) Personal Assistant to Director of Education (Secondary and Basic), (6) Deputy Text-Books Officer, (7) Deputy Secretary and Additional Deputy Secretary, Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh at Headquarters and Regional Offices, (8) Assistant Deputy Director of Education (Correspondence Course) State Institute of Education, Uttar Pradesh, Allahabad, (9) Education Expansion Officer, (10) Senior Research Professor State Institute of Education, Allahabad, (11) Officer on Special Duty (Non-	**Essential Qualification:** Post Graduate Degree from a University/Deemed University/Institution established by law in India. **Preferential Qualification:** Other things being equal, preference in case of direct recruitment will be given to one who has completed Bachelor of Education (B.Ed) degree in NCTE recognized course.

COLUMN-1 ***Existing Sub-Rule***		COLUMN-2 ***Sub-Rule as hereby substituted***	
Institute of Education, Allahabad, (11) Officer on Special Duty (Non-Formal Education), (12) Associate Regional Inspectoress of Girls School,		Formal Education), (12) Associate Regional Inspectoress of Girls School,	
(13) Principals, Government Intermediate College (For Boys or Girls),	**Essential Qualification** : (i) A Post-graduate degree from a University established by law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto. (ii) L.T. Diploma of the Department of Education, Uttar Pradesh, or B.T. or B.Ed. or an equivalent Degree of a University. (iii) At least three years' teaching experience in a High School or Intermediate or Higher classes in a University or Degree College or any Government recognized any such institution.	(13)Principals, Government Intermediate College (For Boys or Girls),	**Essential Qualification:** (i) Post Graduate degree from any University/Deemed University/Institution established by law in India. (ii) Bachelor of Education (B.Ed.) degree in a course recognized by NCTE. (iii) Regular appointment in High School or Intermediate classes or higher classes in any University or College established by law in India or any such institution recognized by the Government and experience of continuous teaching for three years and regular salary drawn from Central/State Government funds or grants.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 118 राजपत्र–2025–(314)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 माध्यमिक शिक्षा–2025–(315)–125 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)